

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या: 5818887

ग्रा0वि07 (VB-G RAM G)– 09/2026

दिनांक: 24.06.26

विकसित भारत—रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा 17 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विकसित भारत—जी राम जी योजना, बिहार 2026 के अध्याय V की धारा 11 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार एतद द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करती है:—

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) :

विकसित भारत—जी राम जी योजना, बिहार 2026 के अध्याय V की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, बिहार के समस्त जिलों के जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता को उनके—उनके जिले में विकसित भारत—जी राम जी योजना, बिहार 2026 (जिसे इस अधिसूचना में आगे “योजना” कहा गया है) के कार्यान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नामित किया जाता है ।

2. जिला कार्यक्रम समन्वयक के कर्तव्य एवं कार्य

योजना की धारा 11 की उपधाराओं (2), (3) एवं (4) के अधीन जिला कार्यक्रम समन्वयक के कर्तव्य एवं कार्य निम्नानुसार होंगे:—

क) **जिला समेकित योजना:**— जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समेकित योजना के संकलन और अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिले में अभिसरण, क्रियान्वयन और योजना का अनुश्रवण करेगा ।

ख) **अभिसरण एवं क्रियान्वयन:**— जिला कार्यक्रम समन्वयक इस योजना के प्रावधानों तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, और योजना के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियाँ एवं अनुमतियाँ प्रदान करेगा ।

ग) **समन्वय एवं अनुश्रवण:**— जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा तथा अधिनियम और योजना के अंतर्गत स्थापित अनुश्रवण रूपरेखा, प्रबंधन सूचना प्रणाली और जवाबदेही तंत्र का उपयोग करते हुए उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे ।

घ) **निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण:**— जिला कार्यक्रम समन्वयक योजना के अंतर्गत लिए गए कार्यों का आवधिक निरीक्षण करेंगे, गुणवत्ता एवं उत्पादकता मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे तथा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित/जारी



डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नामित शिकायत निवारण प्रणालियों के माध्यम से आवेदकों की शिकायतों का निवारण करेंगे।

ड) शिकायत निवारण:— जिला कार्यक्रम समन्वयक के आदेशों के विरुद्ध राज्य शिकायत निवारण प्राधिकार के समक्ष अपील की जाएगी।

3. अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक

उपर्युक्त के साथ-साथ, धारा 11 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के समस्त जिलों में उप विकास आयुक्त (Deputy Development Commissioner) को उनके-उनके जिले में योजना के कार्यान्वयन में जिला कार्यक्रम समन्वयक की सहायता करने हेतु अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नामित किया जाता है।

4. अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के कर्तव्य एवं कार्य

अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (उप विकास आयुक्त) निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे:—

क) दिन-प्रतिदिन का परिचालन:— योजना के अंतर्गत जिले में दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक एवं परिचालन सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन करेंगे तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक को योजना के समुचित क्रियान्वयन में सहायता करेंगे।

ख) योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति:— प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे।

ग) प्रगति अनुश्रवण:— जिले में कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं ग्राम पंचायतों की कार्य प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे और जिला कार्यक्रम समन्वयक को आवधिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

घ) डिजिटल अनुपालन:— जिले में एम०आई०एस० प्रविष्टि, जियो-टैगिंग, बायोमेट्रिक अनुश्रवण तथा योजना के MIS पोर्टल पर डेटा की शुद्धता एवं समयबद्ध अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

ड) अंकेक्षण :— प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह तक विगत वर्ष के व्यय का चार्टर्ड अकाउंटेंट से अंकेक्षण कराकर अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

च) समन्वय :— लाइन विभागों तथा जिला स्तर पर कार्यरत अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे ताकि अभिसरण एवं समेकित योजना क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

छ) महत्वपूर्ण वित्तीय, नीतिगत एवं प्रबंधन से सम्बंधित विषयों पर जिला पदाधिकारी -सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

ज) जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रत्यायोजित कार्य:— जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे।

5. जवाबदेही :—

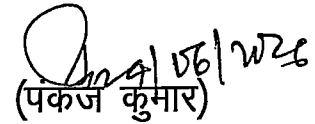
जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 और उसके अधीन बनाये गए उपबंधों के अनुसार जिला में विकसित भारत- जी राम जी योजना बिहार 2026



के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे तथा उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक उनके उत्तरदायित्व के निर्वहन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे ।

6. विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 की धारा 11 (1) में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक के कर्तव्य एवं दायित्व प्रभावी होने के उपरान्त महात्मा गान्धी नरेगा अधिनियम की धारा 14 (3) में निहित प्रावधानों के तहत निर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक का कर्तव्य एवं दायित्व निरसित हो जाएगा ।

राज्यपाल के आदेश से

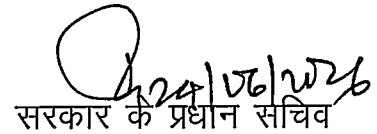

(पंकज कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव
पटना, दिनांक 24.06.26

ज्ञापांक :- 5818887

ग्रा0वि0 07 (बीबी-जी राम जी)-07/2026

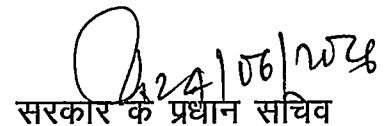
प्रतिलिपि:- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।


सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 5818887

ग्रा0वि07 (VB-G RAM G)- 09/2026

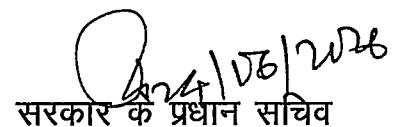
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 5818887

ग्रा0वि07 (VB-G RAM G)- 09/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी/मिशन निदेशक, जल-जीवन-हरियाली मिशन/निदेशक सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

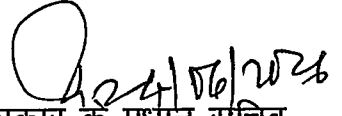

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 5818887

ग्रा0वि07 (VB-G RAM G) - 09/2026

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक 24.06.26


सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 5818887

ग्रा0वि07 (VB-G RAM G) - 09/2026

प्रतिलिपि:- आई.टी. प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोडिंग हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 24.06.26


सरकार के प्रधान सचिव